(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–953–दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–05–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–45/अपील/2003–04

.....

अखिलेश प्रसाद पुत्र लोकनाथ लौहार
निवासी–ग्राम लूरी तहसील सिंगरौली
जिला–सीधी(म0प्र0)

–––––आवेदक

विरूद्ध

1– कन्हैयालाल पुत्र परमसुख लौहार
2– राजा पुत्र पंचम लौहार
3– श्यामसुन्दर पुत्र पंचम लौहार
निवासीगण–ग्राम लूरी तहसील सिंगरौली
जिला–सीधी(म0प्र0)

.....अनावेदकगण

4– बेचनी पुत्री परमसुख पत्नी महादेव
5– प्रयागलाल पुत्र परमसुख
निवासीगण– ग्राम लूरी तहसील सिंगरौली
जिला–सीधी(म0प्र0)

–––––तरतीवी अनावेदकगण

.....

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/9/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–05–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम लूरी की भूमि आराजी सर्वे क्रमांक 26 जु0 रकबा 0.23 है0 एवं आराजी सर्वे क्रमांक 264 रकबा 0.01 है0 एवं ग्राम पडेनिया की भूमि आराजी सर्वे क्रमांक 266 रकबा 0.27 है0 का आवेदक द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरण किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जहॉ तहसीलदार सिंगरौली ने उक्त आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये दिनांक 10.06.2002 को नामांतरण का आदेश पारित किया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 326/अपील/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2003 से अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त रीवा ने अपने प्रकरण क्रमांक 45/अपील/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2007 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को विधिसम्मत न मानते हुये निरस्त करते हुये अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार किया है तथा तहसील न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के प्रत्यावर्तित किया है कि उभयपक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावे। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया । उभयपक्ष के अभिभाषकों ने प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायलयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने वसीयत के आधार पर तहसील न्यायालय में अपने नाम नामांतरण किये जाने बावत आवेदन पत्र पेश किया था। जिस पर अनावेदकगण द्वारा आपत्ति आवेदन पत्र दिनांक 22.05.2001 को तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात् तहसीलदार सिंगरौली ने दिनांक 24.08.2001 को आवेदक एवं आवेदकगण के तर्क एवं जवाब हेतु दिनांक 31.08.2001 नियत की थी, किन्तु तहसीलदार ने प्रकरण दिनांक 31.08.2001 को सुनवाई में न लेकर दिनांक

30.08.2001 को सुनवाई में लिया गया । जिससे अनावेदकों को पक्ष समर्थन एवं जवाब का अवसर प्राप्त नहीं हुआ । तहसील के अनुचित की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली का आदेश दिनांक 04.01.2003 भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता और इसी कारण अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश दिनांक 14.05.2007 से दोनों अधीस्थ न्यायालयों के आदेशों को विधिसम्मत न मानते हुये निरस्त किया है तथा हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये, प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर किये जाने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है। अतः अपर आयुक्त रीवा ने दिनांक 14.05.2007 को जो आदेश पारित किया है, उसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 14.05.2007 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,